प्रेषक,

भूपेन्द्र एस0 चौधरी,
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 **लखनऊ: दिनांक: 18 जनवरी, 2016**

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान पर आने वाले व्ययभार को वहन करने हेतु रू0 85.77 करोड़ की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत संचालित होने वाली उपयोजनाओं यथा यू.पी.स्वान हेतु रू0 32.71 करोड़ स्टेट वाइड रोल आउट आफ ई-डिस्ट्रिक्ट हेतु 50.62 करोड़ तथा स्टेट डाटा सेंटर हेतु रू0 2.44 करोड़, इस प्रकार कुल रू0 85,77,00,000/- (रू. पचासी करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त धनराशि के व्यय में संबंधित योजना में समय समय पर जारी गाइडलाईन्स एवं पारित एमओयू की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(3) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26.06.1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-298/78-2-2015-110आई.टी./2014 दिनांक 12.03.2015 के क्रम में प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा धनराशि का आहरण कर उसे राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा, एक मुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) धनराशि का आहरण कर उसे पीएलए/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपयोग यूपी स्वान स्टेट वाइड रोल हाउट आफ ई-डिस्ट्रिक्ट तथा स्टेट डाटा सेंटर योजना के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्षक 2852-उद्योग (आयोजनागत)-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-09-नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान-42 अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से पुनर्विनियोग द्वारा वहन किया जायेगा तथा लेखा शीर्षक 2852-उद्योग (आयोजनागत)-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-11-उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति पुनर्विनियोग से संबंधित प्रपत्र संलग्न है।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के आ0शा0प0सं0-ई-6-16 दिनांक 15 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-उपरोक्त।

भवदीय,

(भूपेन्द्र एस0 चौधरी)
विशेष सचिव।

संख्या-6/2016/177(1)/78-2-2016 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
5- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
7- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in